न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 187 / 2018

1. बलवन्त पुत्र मनफूल
2. प्रताप पुत्र लालचन्द
3. संजय पुत्र हरलाल
4. जगदीश पुत्र निहाल सिंह
5. मदन लाल पुत्र प्रताप
6. दलीप पुत्र श्योदत्त
7. सज्जन कुमार पुत्र धर्मपाल
8. महावीर पुत्र बृजलाल

} अकवाम जाट निवासीगण राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र इन्द्राज
2. शोभाराम पुत्र इन्द्राज
3. गुड्डी देवी पत्नी महावीर प्रसाद
4. सावित्र पत्नी शोभाराम

} अकवाम जाट निवासीगण राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोहर।

——रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोहर, दिनांक 20.08.2009

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

निर्णय　　　　　　　　　　　　दिनांक 31.03.2021

1. अपीलार्थीगण ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 20.08.2009 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट सख्या 1 से 4 को चक 12 जे एस एन के पत्थर नम्बर 364/402 (44) के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18 से 20, 23 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा. न. प. क्षेत्र/भाखड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 व 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन किया गया।

2. अपीलार्थीगण ने अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी का पेश कर कथन किया कि अपील में दर्ज भूमि अपीलांट के चिपते हुए पड़ौस में है तथा अपीलांट का हित निहित है। रेस्पोडेंट को आवंटन होने से अपीलार्थीगण के हितों का हनन हुआ है, इसलिए अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होने के कारण बतौर तृतीय पक्षकार अपील पेश कर रहे हैं। अतः अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान करें। साथ ही अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों ही प्रार्थना पत्रों का जवाब रेस्पोडेंट द्वारा दिया गया। रेस्पोडेंट द्वारा धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित किया गया कि विवादित भूमि के चिपते हुए काश्तकारों को नोटिस देने के पश्चात् ही कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही रेस्पोडेंट को आवंटन किया गया है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है, न ही इनकी चिपती हुई कोई भूमि नहीं है। अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार [illegible] से अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। अतः इसी बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। इसी प्रकार मियाद अधिनियम की धारा [illegible] के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

कर कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील 9 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी किस तारीख को हुई, का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि जानकारी होने की दिनांक से दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों, धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र एवं मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। विवादित भूमि पायतन की भूमि है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किये है वो रेस्पोडेंट के परिवार के सदस्य है। अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र 96 सी पी सी पेश किया है, जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे एवं जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। अतः विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाकर, अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर आर टी (1) 2021 पेज 45, 2008 आर आर टी (1) पेज 1406 की नजीरें पेश की।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। इनकी विवादित भूमि के चिपती हुई कोई भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन से पूर्व सभी चिपते हुए काश्तकारों को नोटिस दिये गये, उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

रेस्पोंडेंट को आवंटन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं करने पर विधि अनुसार रेस्पोंडेंट को आवंटन किया गया है जिससे अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अपील आदेश दिनांक 20.08.2009 के विरूद्ध 08.06.2018 को लगभग 9 वर्ष विलम्ब से पेश की है। मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में जानकारी की तारीख का कोई उल्लेख नहीं किया है, न ही विलम्ब को माफ करवाने हेतु दिन प्रतिदिन का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। अतः उक्त दोनों ही आधारों पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पोंडेंट ने आर डी जे 2002 पेज 525, आर डी जे 2009 पेज 112, आर डी जे 2016 पेज 418 का हवाला दिया।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के चिपती हुई है जिसका रेस्पोंडेंट को आवंटन करने से अपीलांट के हितों का हनन होता है, किन्तु अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि अपीलांट की विवादित भूमि के साथ कौनसी भूमि चिपती हुई है, इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा के अवलोकन से साबित है कि उक्त भूमि के चिपते हुए अपीलांट की कोई भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में जब विवादित भूमि के चिपते हुए अपीलांट की कोई भूमि नहीं है तो उसे अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अपीलांट द्वारा यह अपील [illegible] से पेश की है। अपीलाधीन आदेश पारित होने के [illegible] कोई भूमि होती तो यदि अपीलांट की विवादित [illegible] जाती, 9 वर्ष उसे अपीलाधीन आदेश की [illegible] तक जानकारी ना हो यह नहीं माना जा सकता। साथ ही दिन प्रतिदिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। इस प्रकार मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से अपने आप को प्रभावित पक्षकार साबित नहीं कर पाया, न ही प्रभावित पक्षकार पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपील इसी बिन्दु पर खारिज की जाती है एवं अवधि बाधित होने से भी मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज की जाती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त दोनों आधारों पर खारिज होने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.2021

(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner